सत्र प्र. क्र. 188/2019
साक्षी क्र. 10 निर्मल रायकवार
शासन वि. आकाश साल्वे
II-157
C.J.

Witness no. .....10.....for .....Prosecution.....Deposition taken

the.14.02.2025..day of.....Witness's apparent age.....30 वर्ष

States on affirmation.....शपथपूर्वक .....My name is.....निर्मल रायकवार

Son of.....स्व. सुनील रायकवार .....occupation..... इलेक्ट्रीशियन

addres..... वार्ड नं. 04, दुर्गा मंदिर के पास, अनूपपुर म.प्र. 484224

प्रारंभ समय 15.57 बजे

मुख्यपरीक्षण द्वारा श्री बसंत गोंड़, अतिरिक्त लोक अभियोजक वास्ते अभियोजन

1– मैं न्यायालय उपस्थित अभियुक्त राजा उर्फ रामखिलावन नेताम तथा न्यायालय अनुपस्थित अभियुक्तगण विरेंद्र कुमार, आकाश साल्वे उर्फ अक्कू डॉन, नागेश्वर ध्रुव को घटना के बाद से जानता हूं। मैं आहत विनोद देवांगन को भी जानता हूं, वह मेरा दोस्त है। घटना वर्ष 2019 की रात्रि लगभग 9.30 बजे की है। मैं, इंद्रजीत और आहत विनोद तीनों भनपुरी से मोटर सायकिल में वापस अपने घर जा रहे थे। जब पचपेड़ी नाका चौक, कलर्स मॉल के पास पहुंचे थे तभी चारों अभियुक्तगण मालवाहक वाहन से हमें ओव्हर टेक करते हुए तेजी से आगे बढ़े। तब विनोद ने आगे बढ़कर अभियुक्तगण को कैसे चला रहे हो बोला। फिर हम लोग आगे बढ़ गये, आगे जाकर अभियुक्तगण हमें रोककर गाली गलौच करते हुए मारपीट करने लगे। तब अभियुक्तगण में से एक अभियुक्त अक्कू ने विनोद को चाकू से पेट में मारा जिससे उसकी अंतड़ी बाहर आ गयी। उक्त अक्कू को मालवाहक में सवार अभियुक्तगण में से किसी एक ने फोन कर बुलाया था। विनोद को चाकू लगने के बाद विनोद अपनी जान बचाकर भाग गया एवं हम लोग

Witness no. .....10.....for .....Prosecution.....Deposition taken

बीच–बचाव किये तो हमारे साथ भी अभियुक्तगण द्वारा लात घूंसे से मारपीट की गयी। घटना स्थल पर पर्याप्त रोशनी होने से मैं उन्हें अच्छे से पहचानता हूं।

2– आगे जाकर कमल विहार के पास पुलिस गाड़ी देखकर पुलिस वालों को घटना के संबंध में बताया तब पुलिस वाले विनोद के मोबाईल से हमें कॉल किये, तब हम लोग कमल विहार के पास पहुंचे। वहां विनोद को देखने पर उसकी हालत गंभीर होने के कारण हम लोग विनोद को कमल विहार के पास स्थित अस्पताल ले गये थे, जहां से उसे मेकाहारा रिफर किये थे। तब मैं भी विनोद के साथ मेकाहारा गया था। मेकाहारा में इलाज हेतु भर्ती करने के बाद हम लोग टिकरापारा थाना रिपोर्ट लिखाने गये थे। प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्र.पी. 24** है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। बाद में पुलिस वालों के साथ मैं घटना स्थल गया था। घटना स्थल का नजरी नक्शा **प्र.पी. 25** है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। घटना स्थल से पुलिस वालों के साथ मैं अभियुक्त आकाश के घर गये थे। मैंने पुलिस को बयान दिया था।

3– आहत विनोद को मेकाहारा में भर्ती करने के पश्चात् पुलिस वालों का फोन आया तब हम वापस टिकरापारा गये। अभियुक्तगण का नाम मुझे मालूम नहीं था, उन्होंने खुद पुलिस वालों के सामने अपना–अपना तथा अपने साथियों का नाम बताये थे। मेमोरेंडम प्र.पी. 11 तथा प्र.पी. 12 के ब से ब भाग पर मेरा हस्ताक्षर है, किंतु आज मुझे याद नहीं है कि उन्होंने पुलिस को क्या बताया था। जप्ती पत्रक प्र.पी. 13 के ब से ब भाग पर मेरा हस्ताक्षर है किंतु आज मुझे याद नहीं है कि क्या जप्ती हुई थी। जप्ती पत्रक प्र.पी. 14 के ब से ब भाग पर मेरा हस्ताक्षर है। आहत विनोद देवांगन के खून लगे शर्ट की जप्ती मेरे कब्जे से की गयी थी। जप्ती पत्रक प्र.पी. 15 से प्र.पी. 18 के ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं किंतु आज मुझे याद नहीं है कि उनके कब्जे से क्या जप्ती हुई थी।

सत्र प्र. क्र. 188/2019
साक्षी क्र. 10 निर्मल रायकवार
शासन वि. आकाश साल्वे
II-157
C.J.

Witness no. .....10.....for .....Prosecution.....Deposition taken

4– गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 19 से लगायत प्र.पी. 22 के ब से ब भाग पर मेरा हस्ताक्षर है । अभियुक्तगण की गिरफ्तारी मेरे समक्ष हुई थी। पटवारी नक्शा प्र.पी. 03 के ब से ब भाग पर मेरा हस्ताक्षर है। उक्त नक्शा मेरे समक्ष बनाया गया था।

नोट:– इसी स्तर पर अतिरिक्त लोक अभियोजक ने साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर उससे सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति चाही । अभिलेख का अवलोकन कर विचार बाद अनुमति दी गयी।

5– यह कहना सही है कि अभियुक्तगण रामखिलावन तथा आकाश साल्वे उर्फ अक्कू ने मेरे समक्ष पुलिस को बयान दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि अभियुक्त आकाश साल्वे ने आहत विनोद देवांगन के पेट में चाकू से चोट पहुंचाया है। यह कहना सही है कि अभियुक्त आकाश साल्वे तथा रामखिलावन के पेश करने पर मेरे समक्ष उनके कब्जे से एक–एक नग चाकू की जप्ती की गयी थी। यह कहना सही है कि घटना स्थल से मेरे समक्ष सादी मिट्टी तथा खून आलूदा मिट्टी जप्त की गयी थी। यह कहना गलत है कि अभियुक्त रामखिलावन तथा आकाश साल्वे के पेश करने पर घटना के समय उनके पहने एक–एक नग टी शर्ट की जप्ती मेरे समक्ष हुई थी।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री दिनेश कुमार मनहरे अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त आकाश साल्वे

6– यह कहना सही है कि घटना दिनांक को मैं अभियुक्तगण का नाम नहीं जानता था, पुलिस वालों के बताने से एवं पहचान कराने से उनका नाम मालूम हुआ था। यह कहना सही है कि मैं प्रथम सूचना रिपोर्ट कराते समय अभियुक्तगण का नाम नहीं जानता था। यह कहना सही है कि मैं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया उसके बाद पुलिस वाले मुझे अभियुक्त आकाश साल्वे के घर ले गये थे। यह कहना सही है कि आहत विनोद को पुलिस वाले कमल विहार स्थित

Witness no. .....10.....for .....Prosecution.....Deposition taken

अस्पताल में इलाज हेतु लेकर गये थे। आज मुझे उस अस्पताल का नाम नहीं मालूम है। स्वतः कहा कि वह बड़ा अस्पताल था। हम लोग स्पलेंडर गाड़ी में थे। यह कहना गलत है कि हम लोग अभियुक्तगण के गाड़ी को ओव्हरटेक किये थे जिसके कारण अभियुक्तगण हम लोगों के साथ मारपीट किये थे। यह कहना सही है कि घटना के समय घटना स्थल पर और भी लोग मौजूद थे। यह कहना सही है कि घटना स्थल पर बहुत ज्यादा भीड़ हो गयी थी। यह कहना सही है कि उस भीड़ में हम लोग भी फंस गये थे, तभी घटना हुई थी। यह कहना गलत है कि आहत को किसके द्वारा चाकू मारा गया था, उसे नहीं देखा था।

7– यह कहना सही है कि मैं पुलिस वालों के साथ जब घटना स्थल पहुंचा तब पुलिस वाले वहां पर क्या–क्या कार्यवाही किये, मुझे नहीं मालूम। यह कहना गलत है कि घटना स्थल के पास पुलिस वाले लिखापढ़ी नहीं किये थे। मुझे आज याद नहीं है कि पुलिस वाले क्या लिखापढ़ी किये थे। मेरे द्वारा जितने भी दस्तावेजों में हस्ताक्षर किया गया है, वह हस्ताक्षर मैं थाने में किया था। पुलिस वाले जिन कागजों पर मेरा हस्ताक्षर लिये थे वह विवरण एवं कपड़े की जप्ती के संबंध में था, इसके अलावा और मेरे समक्ष और क्या–क्या जप्ती की गयी थी, मुझे नहीं मालूम। मैं पुलिस वालों के कहने पर हस्ताक्षर किया था।

8– यह कहना सही है कि अभियुक्तगण मेरे समक्ष पुलिस को अपना बयान दर्ज कराये थे। यह कहना गलत है कि विनोद को जो चोट लगी थी, वह गाड़ी के गिरने से लगी थी। यह कहना सही है कि घटना स्थल के पास विनोद को जो चोट लगी थी, वह मैंने नहीं देखा था, बाद में पुलिस वालों के बुलाने पर मैंने देखा था। स्वतः कहा कि मेरे सामने चाकू मारा है।

Witness no. .....10.....for .....Prosecution.....Deposition taken

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री यू.के. पाण्डेय अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त विरेंद्र

9– यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण मेरे साथ मारपीट किये थे। यह कहना सही है कि घटना स्थल पर बहुत भीड़ थी, जिसके कारण मैं यह नहीं बता सकता कि हम लोगों के साथ किस–किस ने मारपीट किया था।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री खिलेश्वर साहू अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त रामखिलावन

10– हम लोग भनपुरी से जिस मोटर सायकिल से जा रहे थे, उस मोटर सायकिल का नंबर पुलिस को बता दिया था अगर उस मोटर सायकिल का नंबर मेरे बयान में उल्लेख न हो तो मैं कारण नहीं बता सकता। मैंने अपने बयान में यह बात भी बता दिया था कि भनपुरी से वापस अपने घर जा रहे थे तब पचपेड़ी नामा, कलर्स मॉल के पास ओव्हर टेक करते हुए मालवाहक में सवार चारों अभियुक्तगण तेजी से आगे बढ़े उक्त बात मेरे पुलिस बयान में न लिखी हो तो मैं कारण नहीं बता सकता।

11– मैंने अपने बयान में यह बात भी बता दिया था कि विनोद अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया था उक्त बात मेरे पुलिस बयान में न लिखी हो तो मैं कारण नहीं बता सकता। मैंने अपने बयान में यह बात भी बता दी थी कि पुलिस वाले अभियुक्त आकाश उर्फ अक्कू के घर ले गये थे, अभियुक्तगण का नाम मुझे मालूम नहीं था, अभियुक्तगण ने पुलिस वालों को खुद अपना नाम बताया था उक्त बात मेरे पुलिस बयान में न लिखी हो तो मैं कारण नहीं बता सकता।

12– मैं आज नहीं बता सकता कि पुलिस को बयान देते समय यह बात बतायी थी कि 12.30 बजे देवपुरी यूनियन बैंक के पास पहुंचे थे उक्त बात मेरे पुलिस बयान में न लिखी हो तो मैं कारण नहीं बता सकता। मैंने घटना का समय पहले 9.30 बजे बताया हूं, मेरे बयान में जो 12.30 का समय लिखा है कौन सा समय सही है यह पूछने पर साक्षी कहता है कि 12.30 बजे

Witness no. .....10.....for .....Prosecution.....Deposition taken

की बात सही है 9.30 बजे की बात गलत है। मेरे बयान में यह बात यदि लिखी हो कि मैं अभियुक्तगण को पूर्व से जानता हूं उक्त बात मैंने पुलिस को बयान देते समय नहीं बताया था। यह कहना सही है कि मेरे समक्ष अभियुक्त रामखिलावन ने थाने में कोई मेमोरेंडम कथन नहीं दिया था। यह कहना सही है कि मेरे समक्ष अभियुक्त रामखिलावन से कोई चाकू जप्त नहीं किये थे।

13– यह कहना सही है कि पुलिस ने मेरे बयान में क्या–क्या बातें लिखी है मुझे पढ़कर नहीं सुनाया था। मैंने अपने बयान को पढ़कर देखा था और उस पर अपने हस्ताक्षर किया था। उस बयान में क्या–क्या लिखा था आज मुझे याद नहीं है।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री वी.के. सैनी एल.ए.डी.सी. एस. वास्ते अभियुक्त नागेश

14– हम लोग भनपुरी से जिस मोटर सायकिल से जा रहे थे, उस मोटर सायकिल का नंबर पुलिस को बता दिया था अगर उस मोटर सायकिल का नंबर मेरे बयान में उल्लेख न हो तो मैं कारण नहीं बता सकता। मैंने अपने बयान में यह बात भी बता दिया था कि भनपुरी से वापस अपने घर जा रहे थे तब पचपेड़ी नामा, कलर्स मॉल के पास ओव्हर टेक करते हुए मालवाहक में सवार चारों अभियुक्तगण तेजी से आगे बढ़े उक्त बात मेरे पुलिस बयान में न लिखी हो तो मैं कारण नहीं बता सकता।

15– मैंने अपने बयान में यह बात भी बता दिया था कि विनोद अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया था उक्त बात मेरे पुलिस बयान में न लिखी हो तो मैं कारण नहीं बता सकता। मैंने अपने बयान में यह बात भी बता दी थी कि पुलिस वाले अभियुक्त आकाश उर्फ अक्कू के घर ले गये थे, अभियुक्तगण का नाम मुझे मालूम नहीं था, अभियुक्तगण ने पुलिस वालों को खुद अपना नाम बताया था उक्त बात मेरे पुलिस बयान में न लिखी हो तो मैं कारण नहीं बता सकता।

Witness no. .....10.....for .....Prosecution.....Deposition taken

16– मैं आज नहीं बता सकता कि पुलिस को बयान देते समय यह बात बतायी थी कि 12.30 बजे देवपुरी यूनियन बैंक के पास पहुंचे थे उक्त बात मेरे पुलिस बयान में न लिखी हो तो मैं कारण नहीं बता सकता। मैंने घटना का समय पहले 9.30 बजे बताया हूं, मेरे बयान में जो 12.30 का समय लिखा है कौन सा समय सही है यह पूछने पर साक्षी कहता है कि 12.30 बजे की बात सही है 9.30 बजे की बात गलत है। मेरे बयान में यह बात यदि लिखी हो कि मैं अभियुक्तगण को पूर्व से जानता हूं उक्त बात मैंने पुलिस को बयान देते समय नहीं बताया था। यह कहना सही है कि पुलिस ने मेरे बयान में क्या–क्या बातें लिखी है मुझे पढ़कर नहीं सुनाया था। मैंने अपने बयान को पढ़कर देखा था और उस पर अपने हस्ताक्षर किया था। उस बयान में क्या–क्या लिखा था आज मुझे याद नहीं है।

समय 17.33 बजे तक

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया
सही होना स्वीकार किया।

LEELADHARSAI YADAW Digitally signed by LEELADHARSAI YADAW

(लीलाधर साय यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश
स्पेशल जज ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल
ऑफ सी.बी.आई.केसेस
रायपुर छ.ग.

मेरे निर्देश पर टंकित ।

LEELADHARSAI YADAW Digitally signed by LEELADHARSAI YADAW

(लीलाधर साय यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश
स्पेशल जज ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल
ऑफ सी.बी.आई.केसेस
रायपुर छ.ग.

साक्षी के हस्ताक्षर.....